आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
23.07.2026	मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बॉयोफ्यूल्स लि0, इकाई–सुगौली द्वारा पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 के लिए पूर्व में आरक्षित 143 ग्रामों को यथावत रखने एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेसर्स हनुमान सुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज के मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के रूप में अवस्थित 178 ग्रामों में से 10 ग्राम पूर्व में सुगौली चीनी मिल के साथ सम्बद्ध किया गया, जिसमें 10 ग्रामों मे से 5 ग्रामों को अपरांपरागत रूप से आवंटित करने के प्रस्ताव पर सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बॉयोफ्यूल्स लि0, इकाई–सुगौली के प्रतिनिधि, मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज मझौलिया के प्रतिनिधि तथा ईख पदाधिकारी, मोतिहारी उपस्थित है। मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बॉयोफ्यूल्स लि0, इकाई–सुगौली के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि इस इकाई की पेराई क्षमता 35,000 क्विंटल प्रतिदिन है। विगत वर्ष 2025–26 में हमारी इकाई को पेराई क्षमता के अनुरूप कम मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने के कारण समय से पहले हीं फैक्ट्री का पेराई कार्य दिनांक–11.03.2026 को बंद करना पडा। जबकि विभाग द्वारा पेराई सत्र 2025–26 हेतु प्रेषित किये गए एन0सी0आर0 में इस इकाई को पेराई हेतु गन्ने की मात्रा 44.60 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया था, परंतु गन्ने की उपलब्धता कम होने के कारण इकाई द्वारा निर्धारित गन्ने की मात्रा संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकीं। इस इकाई का गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम, बिहार सरकार द्वारा जारी "गन्ना सर्वेक्षण नीति–2026" के अनुरूप परांपरागत 225 एवं अपरांपरागत 143 ग्रामों में प्रगति पर है। एल0पी0सी0 भी चला रहे है एवं गन्ना विकास का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। पेराई सत्र 2023–24 से 2025–26 तक तीन वर्षो के लिए इकाई के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अपरांपरागत रूप से 143 ग्रामों का आरक्षण किया गया, जिसके सभी 143 ग्राम– जिला पूर्वी चम्पारण के प्रखंड–बंजरिया, ग्राम संख्या–01, हरसिद्धि ग्रामों की संख्या–17, कोटवा, ग्रामों की संख्या–01, रामगढ़वा ग्रामों की संख्या–07, रक्सौल, ग्रामों की संख्या–338, छौड़ादानो, नरकटिया, ग्रामों की संख्या–23, तुरकौलिया, ग्रामों की संख्या–01, आदापुर, ग्रामों की संख्या–55 को पुनः अपरांपरागत रूप से आवंटित करने का प्रस्ताव है।	

इनके द्वारा यह भी कहा गया कि विभागीय कार्यालय आदेश दिनांक–23 नवम्बर, 2016 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मेसर्स हनुमान सुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज के मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के रूप में अवस्थित 178 ग्रामों मे से 10 ग्राम पेराई सत्र 2016–17 एवं आगे के वर्षो के लिए मुक्त क्षेत्र के रूप में हमारे इकाई के साथ संबंद्ध किया गया जिसके सभी 10 ग्रामों में से 05 ग्रामों को अपरांपरागत रूप से आवंटित करने का प्रस्ताव है।

अतः निवेदन करते है कि सुगौली चीनी मिल को पूरी क्षमता के साथ 130 से 140 दिनों तक निर्वाद परिचालन हेतु उक्त सभी ग्राम जो पूर्व से ही मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बॉयोफ्यूल्स लि0, इकाई–सुगौली को आरक्षित था, को पुनः सुगौली इकाई के पक्ष में पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे के वर्षो के लिए आवंटित करने का अनुरोध करते है। ताकि इस प्रस्तावित ग्रामों के कृषकों को सुगौली चीनी मिल के निकटता के कारण सुविधा प्राप्त हो सके।

मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण द्वारा लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इनके द्वारा कहा गया कि किसी भी मिल को जरूरत है तो ग्रामों को आवंटित किया जा सकता है।

ईख पदाधिकारी, मोतिहारी लिखित जबाव दाखिल करने हेतु समय की मांग करते है।

सभी पक्षो को सुना। संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि गाँव–वार विश्लेषण कर वहाँ Cane Area कितना Develop है, इस संबंध में विस्तृत ब्योरा सर्म्पित करें। अपरांपरागत क्षेत्रों के आरक्षण हेतु क्षेत्रीय किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करना न्योचित प्रतीत होता है।

सभी संबंधित पक्ष अपना लिखित जबाव दाखिल करें। कार्यालय सभी संबंधित पक्षों को अगली बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचित करें।

लेखापित एवं शुद्धित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–20/2020–1389/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक, मेसर्स एच.पी.सी.एल. बॉयोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली, पूर्वी चम्पारण/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26

(वेदव्रत कुमार)

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–20/2020–1389/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–20/2020–1839/ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

Hearing-Is